सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1. श्रीमती संतोष देवी पति युगल किशोर सराफ़, निवासी ग्राम: बिजैन, थाना: पिपरवार ,जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1501 दिनाक.26.5.1990 के तहत ग्राम: बिजैन, थाना सं: 83, (रैयती) खाता सं. 5 के अधीन प्लॉट सं॰ 29,129,306 एवं220/336 , कुल दावित रकवा 3.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है |

क. ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. 5, प्लॉट न. 29,129,306 एवं 220/336 जिसका कुल खरीदगी रकवा 3.00 एकड़ है जिसे केवाला संख्या. 2201 दिनांक 09.5.1986 के माध्यम से श्रीमती संतोष देवी पति युगल किशोर सराफ़ के द्वारा मिनु गंझु पिता बड़का बंधन गंझु, चन्दरा गंझु, चन्दल गंझु एवं फकीरा गंझु पिता मिनु गंझु से खरीदगी की गयी थी ।

2. मो॰जाहीद पिता मो॰ रफीक , निवासी ग्राम: बिजैन, थाना: पिपरवार ,जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1501 दिनाक.26.5.1990 के तहत ग्राम: बिजैन, थाना सं: 83, (रैयती) खाता सं. 10 के अधीन प्लॉट सं॰ 328 , कुल दावित रकवा 0.62 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।

क. ऊपर उल्लेखित खाता स. 10, प्लॉट संख्या 328 जिसका कुल रकवा 0.62 एकड़, है, जिसे केवाला संख्या 5505 दिनाक 18.4.1990 के माध्यम से मो॰जाहीद पिता मो॰ रफीक के द्वारा सहादेव गंझु पिता छोटका बंधन गंझु से खरीदगी की गयी थी ।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते है |

अगर उक्त पंद्रह दिनो के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: बिजैन , थाना सं: 83, जिला :- चतरा, खाता सं. 5 के अधीन प्लॉट सं. 29,129,306 एवं 220/336, कुल दावित रकवा 3.00 एकड़, रैयती भूमि, एवं खाता सं॰. 10, प्लॉट सं॰ 328, कुल दावित रकवा 0.62 एकड़, रैयती भूमि, जो क्रमश श्रीमती संतोष देवी पति युगल किशोर सराफ़ एवं मो॰जाहीद पिता मो॰ रफीक, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नही है |

(sd/-)

विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व),

सी.सी.एल, राँची